रजि. सं. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 434] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 7 1984/कार्तिक 16, 1906

No. 434] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 1984/KARTIKA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 7 नवम्बर, 1984

सं. 270/84-सीमा-शुल्क

सा.का.नि.756(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना सं. 13-सीमा-शुल्क, तारीख 9 फरवरी, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 और उसके अधीन सूचीबद्ध शर्तों के पश्चात्, और सारणी से पहले, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"2 इस अधिसूचना के पैरा 1 में किसी बात के होते हुए भी, उसमें दी गई छूट, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट उस माल को भी लागू होगी जिसका उपयोग, भारत में उसका आयात किए जाने पर, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों में वस्तुओं के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया जाता है, परन्तु, यह तब जब ऐसी वस्तुएं, भले ही वे भारत के बाहर निर्यात न की जाएं, उक्त उपक्रम द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को भारत में उसकी परियोजनाओं के लिए, सार्वभौमिक निविदा विक्रय करने के लिए अनुज्ञात की जाती है । ऐसा विक्रय निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् —

(1) उक्त उपक्रम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साधारण प्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक का, इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि उक्त उपक्रम द्वारा उत्पादित वस्तुएं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए, सार्वभौमिक निविदा पर, प्रदाय किए जाने के लिए अपेक्षित हैं,

(2) उक्त उपक्रम सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप से, उक्त वस्तु के इस प्रकार से

प्रदाय किए जाने के लिए निकासी की जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उपयुक्त समझी जाए, इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को उक्त परियोजना पर ऐसी वस्तुएं वस्तुतः प्राप्त हो गई हैं,

(3) उक्त उपक्रम ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि का, जो सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, एक बंधपत्र निष्पादित करेगा जिसमें वह, माल की ऐसी मात्रा की बाबत, जिसका उपयोग उक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए किया जाता है, जिसके लिए शर्त (2) में ऊपर उपदर्शित साक्ष्य सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, मांग किए जाने पर, उसी रकम का संदाय करने के लिए वचनबद्ध होता है जो उस माल पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के बराबर है ।" ।

[फा सं. 370/98/84-सी. शु.-1]
एम एन विश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 1984

NO. 270/84-CUSTOMS

G.S.R. 756(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 13-Customs, dated the 9th February, 1981, namely:—

In the said notification, after paragraph 1 and the condition enlisted thereunder, and before the Table, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"2. Notwithstanding anything contained in paragraph 1 of this notification, the exemption contained therein shall also apply to the goods specified in the said Table which on importation into India are used for the purpose of manufacture of articles within the aforesaid hundred per cent export-oriented undertakings, provided such articles, even if not exported out of India, are allowed to be sold by the said undertaking to the Oil and Natural Gas Commission for their projects in India against global tender, subject to the following conditions, namely :—

(i) the said undertaking produces a certificate from the General Manager|Project Manager, Oil and Natural Gas Commission, to the effect that the articles produced by the said undertaking are required to be supplied against a global tender to Oil and Natural Gas Commission for a project specified in the certificate;

(ii) the said undertaking produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs, within a period of sixty days or such extended period as considered appropriate, from the date of clearance of the said article for being so supplied, to the effect that the articles have actually been received by the Oil and Natural Gas Commission at the said project ;

(iii) the said undertaking executes a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, undertaking to pay, on demand, in respect of such quantity of goods as are used in the manufacture of the said articles for which an evidence as indicated in condition (ii) above is not produced to the Assistant Collector of Customs, an amount equal to the duty of customs leviable on such goods."

[F. No. 370/98/84-Cus-I]

M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984